

न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)
(समक्षा-डी.एस.मण्डलोई)

उत्तराधिकार प्रकरण क.-11/14

संस्थित दिनांक-05/03/13

1. गुलाबसिंह मर्सकोले आयु 53 वर्ष वल्द कमलसिंह,
2. कलाबाई आयु 50 वर्ष जौजे नरेन्द्र सिरसाज,
3. हेमराज आयु 47 वर्ष वल्द कमलसिंह
4. श्यामराज आयु 40 वर्ष वल्द कमलसिंह
5. रविन्द्र आयु 38 वर्ष वल्द कमलसिंह

निवासी पानीटोला वार्ड नं. 11 उकवा तहसील बैहर बालाघाट (म.प्र.) आवेदकगण

विरुद्ध

सर्वसाधारण अनावेदकगण

आवेदक की ओर श्री वाय.आर. बिसेन अधिवक्ता।

अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय।

-:: आ दे श ::-

(आज दिनांक-06/10/2014 को पारित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।

(02) आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के पिता कमलसिंह की मृत्यु दिनांक 25.4.2012 को एवं मां रूपनबाई की मृत्यु 01.5.2012 को हो गई। आवेदकगण कमलसिंह एवं रूपनबाई की एकमात्र संतान होकर उनके वैध उत्तराधिकारी है। आवेदकगण के पिता के नाम पर मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क्र. 3697 में 24,506/- रुपये, सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी(उकवा) में बचत खाता क्र. 1133 में 78,546/-रुपये, सिंडिकेट बैंक उकवा खाता क्र. 7713220, 0001265 में 32,243/-रुपये, अ.जा. सेवा वृहत सहकारी समिति मर्यादित उकवा के खाता क्र. 747 में

889/-रुपये, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 178207 में 26,889/-रुपये, सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा सावधि जमा रसीद क्र. एस.एस. बी. 482584 में 50.995.16/-रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 520747 में 32,996/-रुपये, सिंडिकेट बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 493579 में 50,000/-रुपये, मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 178158 में 1,28,897/-रुपये, मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद 178464 में 50,000/-रुपये, मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 178466 में 60,000/-रुपये जमा है। आवेदकगण के अतिरिक्त कमलसिंह एवं रुपनबाई के कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है। बैंक में जमा राशि प्राप्त करने के आवेदकगण वैध उत्तराधिकारी है। आवेदकगण को कमलसिंह मर्सकोले के नाम से उपरोक्त बैंक खातों में जमा राशि प्रदाय किये जाने का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे।

(03) अनावेदक सर्वसाधारण पर विज्ञापित का प्रकाशन होने के उपरान्त दिनांक-25. 6.2013 को अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए है। अतः अनावेदक सर्वसाधारण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

(04) विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या आवेदकगण स्व. कमलसिंह मर्सकोले के मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क्र. 3697 में 24,506/-रुपये, सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी(उकवा) में बचत खाता क्र. 1133 में 78,546/-रुपये, सिंडिकेट बैंक उकवा खाता क्र. 7713220, 0001265 में 32,243/-रुपये, अ.जा. सेवा वृहत सहकारी समिति मर्यादित उकवा के खाता क्र. 747 में 889/-रुपये, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 178207 में 26,889/-रुपये, सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा सावधि जमा रसीद क्र. एस.एस.बी. 482584 में 50.995.16/-रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 520747 में 32,996/-रुपये, सिंडिकेट बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 493579 में 50,000/-रुपये, मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 178158 में 1,28,897/-रुपये, मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद 178464 में 50,000/-रुपये, मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा

सावधि जमा रसीद क. 178466 में 60,000/-रुपये, कुल 5,75,961/- रुपये के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है ?

-: सकारण निष्कर्ष :-

(05) श्रीमती कलाबती (आ.सा. 1) के अभिवचन है कि कमलसिंह मर्सकोले आवेदकगण के पिताजी एवं रूपनबाई आवेदकगण की मां थी। कमलसिंह की मृत्यु दिनांक 25.4.2012 को हो गई है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-1 तथा रूपनबाई की मृत्यु दिनांक 01.5.2012 को हो गई। उनकी मृत्यु पश्चात वह और उसके भाई एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। रूपनबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-2 है। गुलाबसिंह, हेमराज, श्यामराज, रविन्द्र हैं, जिसमें से गुलाबसिंह की मृत्यु हो चुकी है। गुलाबसिंह की मृत्यु के बाद भाभी सुनीताबाई की भतीजी दीप्ति एवं कीर्ति हैं। उनके पिता कमलसिंह के नाम से मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क. 3697 में 24,506/-रुपये है, जिसकी पासबुक प्रदर्श पी-3 है। सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी उकवा में बचत खाता क. 1133 में 78,546/-रुपये की पास बुक प्रदर्श पी-4 है। सिंडिकेट बैंक उकवा के खाता क. 7713220 में 32,243/-रुपये की पासबुक प्रदर्श पी-5 है। सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 178207 में 26,889/-रुपये का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-6 है। सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. एस.एस.बी. 482584 में 50995.16/-रुपये का प्रदर्श पी-7 है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 520747 में 40,000/-रुपये का प्रदर्श पी-8 है। सेंट्रल बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 520661 में 32,996/-रुपये की सावधि जमा रसीद प्रदर्श पी-9 है। सिंडिकेट बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क. 493579 में 50,000/-रुपये का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-10 है। मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क. 178158 में 1,28,897/-रुपये का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-11 है। इसी प्रकार मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क. 178464 में 50,000/-रुपये की रसीद प्रदर्श पी-12 है। मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद 178466 में 60,000/-रुपये की रसीद प्रदर्श पी-13 है। अ.जा. सेवा वृहत सहकारी समिति मर्यादित उकवा के खाता क. 747 में 889/- रुपये जमा है। मृतक कमलसिंह के नाम पर विभिन्न बैंकों में 5,75,961/-रुपये जमा है। जिसे प्राप्त करने के लिए वह एवं उसके भाई व भाभी तथा भतीजी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उनके अलावा मृतक कमलसिंह का अन्य

कोई उत्तराधिकारी नहीं है।

(06) श्रीमती कलाबती (आ.सा. 1) के अभिवचन का समर्थन करते हुए रविन्द्र मर्सकोले (आ.सा. 2) के भी अभिवचन है कि मृतक कमलसिंह मर्सकोले उसके पिताजी थे तथा रूपनबाई उसकी मां थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिनके चार लड़के एवं एक लड़की है। सबसे बड़े भाई गुलाबसिंह मर्सकोले की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद सुनीताबाई उसकी भाभी तथा दीप्ति और कीर्ति उसकी भतीजी है तथा शेष भाई हेमराज, श्यामराज तथा वह रविन्द्र हैं। उनके अलावा मृतक कमलसिंह का कोई वारिस नहीं है। मृतक कमलसिंह के नाम पर विभिन्न बैंकों में अलग-अलग राशि जमा है। जिसे वह, उसकी भाभी सुनीता मर्सकोले, भतीजी दीप्ति, कीर्ति एवं हेमराज, श्यामराज तथा कलाबतीबाई प्राप्त करने के हकदार है।

(07) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत कमलसिंह मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-1 तथा रूपनबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-2 से दर्शित होता है कि कमलसिंह एवं उसकी पत्नी रूपनबाई की मृत्यु हो चुकी है। कमलसिंह के नाम से मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क्र. 3697 में 24,506/- रुपये की पासबुक प्रदर्श पी-3, सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी उकवा में बचत खाता क्र. 1133 में 78,546/-रुपये की पास बुक प्रदर्श-पी4, सिंडिकेट बैंक उकवा के खाता क्र. 7713220 में 32,243/-रुपये की पासबुक प्रदर्श पी-5, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 178207 में 26,889/-रुपये का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-6, सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. एस.एस.बी. 482584 में 50995.16/-रुपये का प्रदर्श पी-7, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 520747 में 40,000/-रुपये का प्रदर्श पी-8, सेंट्रल बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 520661 में 32,996/-रुपये की सावधि जमा रसीद प्रदर्श पी-9, सिंडिकेट बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 493579 में 50,000/-रुपये का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-10, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 178158 में 1,28,897/-रुपये का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-11, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 178464 में 50,000/-रुपये की रसीद प्रदर्श पी-12, मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद 178466 में 60,000/-रुपये की रसीद प्रदर्श पी-13 से तथा अ.जा. सेवा वृहत सहकारी समिति मर्यादित उकवा के खाता क्र. 747 में 889/-रुपये जमा होना दर्शित होता है। इस प्रकार

मृतक कमलसिंह के नाम पर विभिन्न बैंकों में कुल 5,75,961/-रुपये जमा है।

(08) आवेदकगण की अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों का खंडन अनावेदक सर्वसाधारण के एकपक्षीय रहने से नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदकगण स्व. कमलसिंह के विभिन्न में जमा राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है। फलतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार कर स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि आवेदकगण द्वारा स्व. कमलसिंह मर्सकोले की मृत्यु उपरांत कमलसिंह मर्सकोले के नाम से मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क्र. 3697 में 24,506/-रुपये, सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी उकवा में बचत खाता क्र. 1133 में 78,546/-रुपये, सिंडिकेट बैंक उकवा के खाता क्र. 7713220 में 32,243/-रुपये, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 178207 में 26,889/-रुपये, सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. एस.एस.बी. 482584 में 50995.16/-रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 520747 में 40,000/-रुपये, सेंट्रल बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 520661 में 32,996/-रुपये, सिंडिकेट बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 493579 में 50,000/-रुपये, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 178158 में 1,28,897/-रुपये, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 178464 में 50,000/-रुपये, मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद 178466 में 60,000/-रुपये तथा अ.जा. सेवा वृहत सहकारी समिति मर्यादित उकवा के खाता क्र. 747 में 889/-रुपये, इस प्रकार विभिन्न बैंकों में कुल 5,75,961/- (पांच लाख पचहत्तर हजार नौ सौ इकसठ रुपये) प्राप्त करने हेतु विधिवत स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर, आवेदकगण के पक्ष में निम्न शर्त के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जावे :-

- (1.) आवेदकगण मृतक कमलसिंह मर्सकोले के वैध उत्तराधिकारी हैं।
- (2.) आवेदकगण मृतक स्व. कमलसिंह मर्सकोले की मृत्यु उपरांत मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क्र. 3697 में 24,506/-रुपये, सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी उकवा में बचत खाता क्र. 1133 में 78,546/-रुपये, सिंडिकेट बैंक उकवा के खाता क्र.

7713220 में 32,243/-रुपये, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 178207 में 26,889/-रुपये, सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. एस.एस.बी. 482584 में 50995.16/-रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 520747 में 40,000/-रुपये, सेंट्रल बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 520661 में 32,996/-रुपये, सिंडिकेट बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 493579 में 50,000/-रुपये, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 178158 में 1,28,897/-रुपये, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क्र. 178464 में 50,000/-रुपये, मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क्र. 178466 में 60,000/-रुपये तथा अ.जा. सेवा वृहत सहकारी समिति मर्यादित उकवा के खाता क्र. 747 में 889/-रुपये, इस प्रकार विभिन्न बैंकों में कुल 5,75,961/- (पांच लाख पचहत्तर हजार नौ सौ इकसठ रुपये) प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(डी.एस.मण्डलोई)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)